



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012024-251552
CG-DL-E-22012024-251552

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2024/माघ 2, 1945

No. 306]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2024/MAGHA 2, 1945

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

का.आ. 317(अ).—जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह नियत करती है कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित क्रम संख्या 15 के सामने उल्लिखित उक्त अधिनियम के कॉलम (5) में संशोधन जनवरी 2024 के 22वें दिन से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6/3/2020/बीओ.II]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2024

S.O. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints that the amendments to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961) mentioned in column (5) of Schedule to the said Act, against serial number 15 mentioned in column (1) of the said Schedule, shall come into force from the 22nd day of January, 2024.

[F. No. 6/3/2020/BO.II]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

का.आ. 318(अ).—जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह नियत करती है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित क्रम संख्या 38 के सामने उल्लिखित उक्त अधिनियम के कॉलम (5) में संशोधन जनवरी 2024 के 22वें दिन से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6/3/2020/बीओ.II]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2024

S.O. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints that the amendments to the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007) mentioned in column (5) of Schedule to the said Act, against serial number 38 mentioned in column (1) of the said Schedule, shall come into force from the 22nd day of January, 2024.

[F. No. 6/3/2020/BO.II]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

का.आ. 319(अ).—जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह नियत करती है कि फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित क्रम संख्या 41 के सामने उल्लिखित उक्त अधिनियम के कॉलम (5) में संशोधन जनवरी 2024 के 22वें दिन से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6/3/2020/बीओ.II]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2024

S.O. 319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints that the amendments to the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012) mentioned in column (5) of Schedule to the said Act, against serial number 41 mentioned in column (1) of the said Schedule, shall come into force from the 22nd day of January, 2024.

[F. No. 6/3/2020/BO.II]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

का.आ. 320(अ).—जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह नियत करती है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित क्रम संख्या 25 के सामने उल्लिखित उक्त अधिनियम के कॉलम (5) में संशोधन जनवरी 2024 के 22वें दिन से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6/3/2020/बीओ.II]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2024

S.O. 320(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints that the amendments to the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) mentioned in column (5) of Schedule to the said Act, against serial number 25 mentioned in column (1) of the said Schedule, shall come into force from the 22nd day of January, 2024.

[F. No. 6/3/2020/BO.II]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

का.आ. 321(अ).—जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह नियत करती है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित क्रम संख्या 22 के सामने उल्लिखित उक्त अधिनियम के कॉलम (5) में संशोधन जनवरी 2024 के 22वें दिन से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6/3/2020/बीओ.II]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2024

S.O. 321(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints that the amendments to the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981) mentioned in column (5) of Schedule to the said Act, against serial number 22 mentioned in column (1) of the said Schedule, shall come into force from the 22nd day of January, 2024.

[F. No. 6/3/2020/BO.II]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.